



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 45वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 45वीं बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 को प्रातः 11:30 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

उपस्थिति:-

1.	श्री अतुल शर्मा, आई.ए.एस. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।	अध्यक्ष
2.	प्रो. के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
3.	प्रो. एस. पालरिया, संकायाध्यक्ष, कॉलेज एवं विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
4.	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
5.	प्रो. मनोज कुमार, संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
6.	प्रो. जी.के.कोहली, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
7.	प्रो. बी.पी. सारस्वत, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
8.	प्रो. एस.एन. सिंह, विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य

9. प्रो. एम.एल. वडेरा,
वाणिज्य विभाग (Dept. of Accounting)
प्रतिनिधि, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर ।
10. प्रो. के. सकसैना,
प्रबन्ध अध्ययन विभाग,
प्रतिनिधि, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर ।
11. श्री बलवन्त सिंह,
कुलसचिव,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

1. डॉ. सुभाष गर्ग, अध्यक्ष,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर ।
2. आयुक्त,
महाविद्यालय शिक्षा,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया । इसके पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया । तत्पश्चात् कार्यसूची पर औपचारिक विचार-विमर्श आरम्भ हुआ ।

मद	विवरण	अनुभाग / विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 29.03.2010 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (44) शैक्षणिक-I/मदसविवि/ 2010/11037-76 दिनांक 30.04.2010 को प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I विभाग
निर्णय	विद्या परिषद् की दिनांक 29.03.2010 को सम्पन्न हुई 44वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।	

मद सं. 2 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 17 दिनांक 30.04.2009 के प्रावधानान्तर्गत गठित निम्नांकित अध्ययन बोर्डों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना:-

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ट
1	कला संकाय	संस्कृत	18.05.11	1
		हिन्दी	26.04.10 तथा 13.05.11	2 व 3
2	समाज विज्ञान संकाय	इतिहास	31.05.11	4
		राजनीति शास्त्र	18.06.11	4-A
3	ललित कला संकाय	संगीत	25.05.11	5
4	विधि संकाय	विधि	24.07.10	6
5	प्रबन्ध अध्ययन संकाय	प्रबन्ध अध्ययन	02.06.11	7
6	विज्ञान संकाय	प्राणीशास्त्र	11.06.11	7-A
		कम्प्यूटर साईंस एवं इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी	13.06.11	7-B
		भौतिकशास्त्र	23.05.11	7-C

निर्णय उपर्युक्त अध्ययन बोर्डों की अनुशंषाओं को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:-

1. **संस्कृत अध्ययन बोर्ड** – संस्कृत अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 18.05.2011 की अनुशंषा क्रमांक 1 (ख) व 1 (ग) का अनुमोदन प्रदान किया गया ।
2. **हिन्दी अध्ययन बोर्ड** – हिन्दी अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 26.04.2010 एवं दिनांक 13.05.2011 की बैठक की पाठ्यक्रम से सम्बन्धित अनुशंषाओं को अस्वीकार किया गया तथा बी.ए. पार्ट-गा का पाठ्यक्रम गत वर्ष के अनुसार ही रखे जाने का निर्णय किया गया ।
3. **इतिहास अध्ययन बोर्ड** – इतिहास अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 31.05.2011 की पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।

4. **राजनीति शास्त्र अध्ययन बोर्ड** – राजनीति शास्त्र अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 18.06.2011 में पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।
5. **संगीत अध्ययन बोर्ड** – संगीत अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.05.2011 में पाठ्यक्रम से संबंधित सभी संस्तुतियों को इस प्रेक्षण के साथ स्वीकार किया गया की विद्यार्थियों को सभी रागों तैयार करनी होगी ।
6. **विधि अध्ययन बोर्ड** – विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.07.2010 की संस्तुतियों को अस्वीकार किया गया ।
7. **प्रबन्ध अध्ययन अध्ययन बोर्ड** – प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 02.06.2011 की पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को इस प्रेक्षण के साथ स्वीकार किया गया कि बी.बी.ए. की परीक्षा विद्यार्थी हिन्दी माध्यम में भी दे सकेंगे तथा पाठ्यक्रम का हिन्दी रूपान्तरण करने के लिए संकायाध्यक्ष को अधिकृत किया गया । इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा जारी बी.बी.ए. पाठ्यक्रम (Annual Examination Scheme) Regulation 22-D ix के भाग Passed with IIInd Division को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः—

Aggregate marks taken together of the Part-I, Part-II & Part- III of BBA examination should be 50% and above and less than 60%.

8. **प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड** – प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 11.06.2011 की अनुशंसाओं को अस्वीकार करते हुए बी.एस.सी. पार्ट-तृतीय परीक्षा-2012 के लिए पाठ्यक्रम गत वर्ष के अनुसार यथावत रखने का निर्णय लिया ।
9. **कम्प्यूटर साईंस एवं इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी अध्ययन बोर्ड** – कम्प्यूटर साईंस एवं इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 13.06.2011 की संस्तुतियों को अस्वीकार किया गया तथा पाठ्यक्रम गत वर्ष के अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय किया गया । उक्त अध्ययन बोर्ड द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम M.C.A. Semester V & VI परीक्षा 2012–13 के लिए संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय व संयोजक की राय से पाठ्यक्रम अनुमोदन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।
10. **भौतिक शास्त्र अध्ययन बोर्ड** – भौतिक शास्त्र अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 23.05.2011 की पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।

मद सं. 3 निम्नांकित पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं पर विचार करना:-

क्र.सं.	संकाय का नाम	पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ट
1	कला संकाय	सिन्धी	21.05.11	8
		दर्शन शास्त्र	13.05.11	9
2	प्रबन्ध अध्ययन संकाय	उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध	24.05.11	10
3	शिक्षा संकाय	शिक्षा	28.04.10 तथा 21.06.11	11 व 11-A
		शारीरिक शिक्षा	13.09.10	12
4	विज्ञान संकाय	पर्यावरण विज्ञान	13.06.11	13
		कम्प्यूटर एप्लीकेशन	14.06.11 बिन्दू सं. (e) एलीमेंट्री कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा (f) वोकेशनल कम्प्यूटर एप्लीकेशन पार्ट- A व गा को छोड़कर	13-A

निर्णय उपर्युक्त पाठ्यक्रम समितियों की अनुशंसाओं को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:-

- सिन्धी पाठ्यक्रम समिति** – सिन्धी पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 21.05.2011 की पाठ्यक्रम संबंधी अनुशंसाओं में बिन्दू संख्या 3 को छोड़कर शेष अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया ।
- दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम समिति** – दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 13.05.2011 की पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।
- उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध पाठ्यक्रम समिति** – उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 24.05.2011 की पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।
- शिक्षा पाठ्यक्रम समिति** – शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 28.04.2011 की संस्तुतियों को अस्वीकार किया गया तथा बैठक दिनांक 21.06.2011 की पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।
- शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति** – शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 13.09.2010 में के क्रम में निर्णय लिया गया कि वर्ष 2012 की परीक्षाओं के लिए गत वर्ष का पाठ्यक्रम ही मान्य किया जाता है ।

6. पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति – पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 13.06.2011 में पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों को स्वीकार किया गया ।
7. कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति – कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 14.06.2011 की संस्तुतियों को अस्वीकार किया गया तथा पाठ्यक्रम विगत वर्षानुसार यथावत रखे जाने का निर्णय किया गया ।

मद सं. 4 माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करना :

शैक्षणिक-I

(1) प्रतिवेदन है कि निम्नांकित अध्ययन बोर्डों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंशाओं का माननीय कुलपति महोदय ने अनुमोदन किया:—

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ट
1	कला संकाय	अंग्रेजी	25.09.10 तथा 24.12.10	14 व 15
		उर्दू पारसी, अरवी	02.07.10	16
		संस्कृत	04.10.10	17
		हिन्दी	18.12.10	18
2	समाज विज्ञान संकाय	इतिहास	27.09.10	19
		समाजशास्त्र	13.12.10	20
		भूगोल	27.09.10	21
		अर्थशास्त्र	25.10.10	22
		लोक प्रशासन	11.10.10	23
		राजनीति शास्त्र	27.09.10 तथा 08.07.10	23— A तथा 23— B
3	ललित कला संकाय	संगीत	08.07.10	24
		ड्राइंग एण्ड पैटिंग	30.11.10	25
4	विधि संकाय	विधि	08.04.10 तथा 18.12.10	26 व 27
5	प्रबन्ध अध्ययन संकाय	प्रबन्ध अध्ययन	16.08.10 तथा 24.12.10	28 व 29
6	वाणिज्य संकाय	आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध	16.09.10	30
		व्यावसायिक प्रशासन	27.09.10	31

7	विज्ञान संकाय	भौतिक शास्त्र	23.10.10	32
		बनस्पति शास्त्र	06.07.10 तथा 20.11.10	33 व 34
		गणित	21.09.10	35
		खाद्य विज्ञान एवं पोषण	20.09.10	36
		गृह विज्ञान	09.07.10	37
		कम्प्यूटर साईंस एण्ड इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी	28.07.10	38
		प्राणीशास्त्र	24.07.10	38— A
		पर्यावरण विज्ञान	23.06.10	38— B

निर्णय

अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 25.09.2010 में सामान्य अंग्रेजी के अंक प्रतिशत में जोड़ने की संस्तुति को अस्वीकृत करते हुए अन्य सभी अध्ययन बोर्डों की पाठ्यक्रम से संबंधित संस्तुतियों के प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की गई।

(2) प्रतिवेदन है कि निम्नांकित पाठ्यक्रम समिति की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंसाओं का माननीय कुलपति महोदय ने अनुमोदन किया:—

शैक्षणिक—I

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ट
1	समाज विज्ञान संकाय	जीवन विज्ञान एवं जैन दर्शन	20.07.10	39
2	कला संकाय	सिन्धी	26.07.10	40
		दर्शनशास्त्र	13.09.10	41
		राजस्थानी	23.07.10	42
3	प्रबन्ध अध्ययन संकाय	व्यावसायिक अर्थशास्त्र	13.07.10	43
		उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध	14.07.10	44
4	शिक्षा संकाय	शिक्षा	14.12.10	45
5	वैदिक अध्ययन संकाय	योग एवं मानव चेतना	26.07.10	46
6	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्पूनिकेशन संकाय	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्पूनिकेशन	09.10.10 बिन्दु संख्या 1 एवं 4	47

7	विज्ञान संकाय	रिमोट सेंसिंग	26.11.10	48
		भू-गर्भ शास्त्र (अर्थ साईंस)	20.07.10	49
		सूक्ष्म जीव विज्ञान	14.09.10	50
		बायोटेक्नोलॉजी	20.10.10 तथा 03.02.11	51 व 52
		कम्प्यूटर एप्लीकेशन	19.07.10	53

निर्णय

उपर्युक्त सभी पाठ्यक्रम समितियों के प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि की ।

शैक्षणिक—I

(3) प्रतिवेदन है कि राजनीति शास्त्र अध्ययन बोर्ड के संयोजक की टिप्पणी को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों में स्वीकार करते हुए आदेशानुसार बी.ए. ॲनर्स राजनीति विज्ञान पार्ट-द्वितीय परीक्षा w.e.f. 2011 के पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्धि पत्र क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/2011/1020-31 दिनांक 06.01.2011 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-54)

निर्णय

प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की ।

शैक्षणिक—I

(4) प्रतिवेदन है कि समाज शास्त्र अध्ययन बोर्ड के संयोजक की टिप्पणी को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों में स्वीकार करते हुए आदेशानुसार एम.ए. समाजशास्त्र (पूर्वाद्ध) के द्वितीय प्रश्न-पत्र के पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्धि पत्र क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2011/ 800-1018 दिनांक 06.01.2011 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-55)

निर्णय

प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की ।

शैक्षणिक—I

(5) प्रतिवेदन है कि शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 14.12.10 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वर्ष 2011 से प्रश्न-पत्रों में उत्तर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2011/ 7747-8082 दिनांक 02.02.11 जारी किया गया । (कार्यसूची का परिशिष्ट-56)

निर्णय

प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की ।

	(6) प्रतिवेदन है कि प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.12.10 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार बी.बी.ए. में वर्ष 2011 से प्रश्न-पत्रों में उत्तर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2011/ 1496-1683 दिनांक 08.01.11 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट-57)	शैक्षणिक-I
निर्णय	प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की।	
	(7) प्रतिवेदन है कि अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 24.12.10 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वर्ष 2011 से प्रश्न-पत्रों में उत्तर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2011/ 9510-9711 दिनांक 17.02.11 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट-58)	शैक्षणिक-I
निर्णय	प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की।	
	(8) प्रतिवेदन है कि हिन्दी अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 08.12.10 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वर्ष 2011 से प्रश्न-पत्रों में उत्तर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2011/ 1306-1493 दिनांक 08.01.11 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट-59)	शैक्षणिक-I
निर्णय	प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की।	
	(9) प्रतिवेदन है कि विधि अध्ययन बोर्ड की बैठक दिनांक 18.12.10 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार वर्ष 2011 से प्रश्न-पत्रों में उत्तर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के क्रम में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 () शैक्ष-प्रथम/ मदसविवि/ 2011/ 8461-648 दिनांक 05.02.11 जारी किया गया। (कार्यसूची का परिशिष्ट-60)	शैक्षणिक-I
निर्णय	प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की।	
	(10) प्रतिवेदन है कि पी.जी. डिप्लोमा इन फूड एण्ड हैल्थ सिक्योरिटी पाठ्यक्रम एडिशन 2009 सत्र 2010-11 में (a) Result (b) Division में विरोधाभास है। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए माननीय कुलपति महोदय द्वारा पाठ्यक्रम के पार्ट-बी डिवीजन में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की:-	शैक्षणिक-I

(b) Division-

"First division is awarded to candidates securing 60% marks or above, second division is awarded to candidates securing 50% or above and upto below 60%.

निर्णय	प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की ।	
मद सं. 5	दिनांक 29.03.2010 को सम्पन्न विद्या परिषद् की 44वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना । (कार्यसूची का परिशिष्ट-61)	शैक्षणिक-I
निर्णय	विद्या परिषद् की 44वीं बैठक दिनांक 29.03.2010 के कार्यवृत्त की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया ।	
मद सं. 6	विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2008 एवं 2009 में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.01.2009 से माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से शोधोपाधि हेतु शोधार्थियों को प्रदान किये जाने वाले अनन्तिम प्रमाण-पत्रों (Provisional Certificate) धारियों को उनको संबंधित संकाय और शीर्षक के अनुसार उपाधि धारण करने की स्वीकृति प्रदान करने की तिथि (ग्रेस पास) माननीय कुलपति महोदय द्वारा 02.07.10 निर्धारित की है । माननीय के इन आदेशों को सूचनार्थ एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।	उपाधि
निर्णय	प्रतिवेदित आदेश की पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 7	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर की नियमित छात्रा मोनिका मीणा, एम.फिल. हिन्दी, परीक्षा 2010 के संलग्न प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.10.10 के अनुसार छात्रा को दिनांक 04.06.10 से 30.09.10 तक राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर उक्त परीक्षा से सम्बन्धित लघु शोध ग्रन्थ को जमा कराने हेतु विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश 123 (V) 7 में शिथिलता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।	परीक्षा पी.जी. एण्ड प्रोफेशनल
निर्णय	उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि निर्धारित तिथि तक किसी विद्यार्थी द्वारा लघु शोध ग्रन्थ जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक, उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए जिनकी वजह से लघु शोध ग्रन्थ समय पर जमा करवाया जाना असम्भव है, मय दस्तावेजी साक्ष्य संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी को प्रस्तुत किया जाएगा । उनकी अनुशंसा के आधार पर तिथि बढ़ाई जाने के लिए प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।	

जिन विषयों के पाठ्यक्रम अनुमोदित नहीं हुए हैं, उन पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद् की ओर से अनुमोदन करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न की गयी ।

कुलपति

कुलसचिव